(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1855–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.8.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 44/ अपील/2004––2005.

महेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह तोमर
निवासी ग्राम बुधारा तहसील पोरसा
जिला मुरैना म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1– महतावसिंह पुत्र जयसिंह ठाकुर
2– प्रकाश सिंह पुत्र तिलकसिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम बुधारा तहसील
पोरसा जिला मुरैना म0प्र0
3– देवीसिंह राजस्व निरीक्षक वृत–1
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0
4– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना

––– अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा
अनावेदक क0 1 व 2 एक पक्षीय
अनावेदक 3 व 4 के पैनल शासकीय
अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 –5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 44/अपील/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.8.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम बुधारा तहसील पोरसा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1011 रकवा 2.32 है0 में से रकवा 0.02 है0 पर निगरानीकर्ता द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिये जाने संबंधी रिपोर्ट पटवारी मौजा द्वारा तहसीलदार पोरसा को प्रस्तुत की गयी । तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रकरण कमांक 4/2002-03/अ-68 पर दर्ज करते हुये निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जबाव व अभिलेख के अवलोकन करने के उपरांत आदेश दिनांक 25.6.2003 से निगरानीकर्ता पर 500/- रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार पोरसा द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा आदेश दिनांक 30.12.04 से अपील निरस्त की गयी। उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना को प्रस्तुत की गयी। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 25.8.05 से अस्वीकार की गयी। परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3- निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों के संबंध में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

4- आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार धारा 248 के संबंध में कार्यवाही करने का एक मात्र क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों को प्रदान किये गये हैं । तहसीलदार पोरसा को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, किन्तु इस विधिक प्रश्न पर कोई विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जावे। इस संबध में संहिता

की धारा 248 में अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति के संबंध में नियम निर्धारित किये गये हैं । इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही संक्षिप्त होती है । उसे प्रारंभ करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी के आवेदन पत्र पर से प्रारंभ की जावे। तहसीलदार स्वयं ही प्रारंभ कर सकता है। पटवारी मौजा का यह कर्तव्य रखा गया है कि वह सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रामकों की पंजी रखें । पटवारी के प्रतिवेदन पर भी धारा 248 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। निगरानीकर्ता के विरुद्ध भी पटवारी मौजा द्वारा एवं उप सरपंच ग्राम पंचायत तथा ग्रामवासियों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शिकायतों के आधार पर ही तहसीलदार पोरसा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 248 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही यद्यपि संक्षिप्त होती है किन्तु उसके परिणाम बहुत ही गंभीर हैं, क्यों कि यह दाण्डिक प्रकार की कार्यवाही है । इसके अलावा अभिलेख को देखने से यह तथ्य भी सामने आया है कि तहसीलदार पोरसा द्वारा निगरानीकर्ता को संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं है। यह तथ्य अपील में उठाया है, जबकि विचारण न्यायालय के समय यह तथ्य विचारणीय नहीं था। अपील में उन्हीं तथ्यों पर विचार होना है, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष थे। इस प्रकार निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि तहसीलदार पोरसा को अधिकारिता नहीं थी स्वीकार योग्य है।

5- निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया न राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी से जांच कराई गयी है। अभिलेख देखने से यह प्रकट है कि तहसीलदार पोरसा द्वारा राजस्व निरीक्षक से पुनः जांच कराई गयी थी। राजस्व निरीक्षक ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि शासकीय भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा भवन बनाकर अतिक्रमण किया गया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2002 में यह भी उल्लेख किया गया आगे कार्य बन्द करा दिया गया। पटवारी मौजा को अन्य अतिक्रामकों के विरुद्ध भी अतिक्रमण रिपोर्ट

प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अतः निगरानीकर्ता का यह कहना कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी से जांच नहीं कराई गयी स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार निगरानीकर्ता के अधिवक्ता इस न्यायालय में अपना पक्ष समर्थन करने में पूर्णतः असफल रहे हैं । अतः अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिवत होने के कारण इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर